प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में क्रमशः राज्य सरकार के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। 'वित्तीय प्रतिवेदन' पर अध्याय III, वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, क्रियाविधियों तथा विनिर्देशों के अनुपालन की स्थिति एवं विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष में विभिन्न विभागों में की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेनदेन की लेखापरीक्षा तथा राजस्व प्राप्तियों और सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रकरणों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप सम्पादित की गयी है।